प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– गोरखपुर, प्रयागराज एवं अमेठी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2020–21/ 2997 **दिनांक** 10 **/09/2020**

विषयः–जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय में नवीन पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु डैप में सम्मिलित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि एन0एफ0एच0एस0–IV (वर्ष 2016) सर्वे के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 15 लाख बच्चे Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित हैं अर्थात इनका वज़न ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। Severe Acute Malnutrition (SAM) एक गंभीर समस्या है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 09 गुना अधिक होती है। मुख्य रुप से 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं तथा Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जाती है–

- 01–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम।
- 02–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम।
- 03–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।

अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार एवं कुपोषण रोकथाम हेतु भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध रूप से **पोषण पुनर्वास केन्द्रों** (NRCs) की स्थापना की जा रही है इसी क्रम में आपके जनपद में **पोषण पुनर्वास केन्द्र** (NRC) की स्थापना जिला चिकित्सालय में की जानी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 की आर0ओ0पी0 में नवीन पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) की स्थापना हेतु धनराशि आवंटित की जा रही धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं–

01–उद्देश्यः–

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

02–पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–

1. भर्ती किये गये अति कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
4. बच्चे के परिवारजनों को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
6. पोषण पुनर्वास केन्द्र में हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

03–पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्थानः–

- पोषण पुर्नवास केन्द्र – जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय में 10 शैय्याओं/बैड की इकाई स्थापित की जायेगी।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चों की भर्ती हेतु एक अलग वार्ड जिसमें मानक के अनुसार 10 शैय्या/बैड रखने की क्षमता हो। वार्ड के साथ किचन, शौचालय एवं बरामदा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।

04–पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्वरूप :–

a) पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये एक अलग वार्ड का चयन किया जाये। पोषण पुर्नवास केन्द्र के 10 शैय्याओं/बैड के वार्ड का क्षेत्रफल लगभग 1950 Sq फिट होना चाहिये (प्रति शैय्या/बैड का क्षेत्रफल 150 Sq फिट)। चयनित वार्ड में प्राकृतिक हवा/प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहियें, वार्ड में ही आवंटित बेड के पास चिकित्सक, स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट हेतु मेज़, कुर्सी रखने की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। वार्ड में बच्चे व मां के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो। बच्चो के मनोरंजन एवं मनो सामाजिक विकास के अनुकूल वार्ड बनाने के लिये दीवारों पर आकर्षक पेन्टिंग तथा पोस्टर लगाये जायेगे। इस हेतु यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी सलाह दी जायेगी।

b) चूंकि पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चे के साथ मां अथवा परिवार के सदस्य का रूकना अनिवार्य है इस लिये उपयोग में लाये जाने वाले बैड का माप वयस्क के अनुरूप हो।

c) चूँकि इस पोषण पुर्नवास केन्द्र में Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चे का आहार भी चिकित्सालय में बनाया जाना है अतः रसोई बनाने के लिये वार्ड के साथ अलग से एक कमरा भी उपलब्ध हो। रसोई घर मे गैस सिलैन्डर, मिक्सर, कुकर आदि खाना बनाने के बर्तन, पानी रखने के बर्तन, खाद्य सामग्री की तौल व मॉप के उपकरण आदि की व्यवस्था की जाये। फ्रिज भी रसोई घर में रखा जाना होगा इस हेतु स्थान की समुचित व्यवस्था की जाये।

d) परिवारजनों/माता के ठहरने का स्थान, परिवार के सदस्यों विशेषकर माता के रहने के लिये कक्ष में बेड, गद्दा, रंगीन चादर, मच्छरदानी तथा मौसम की आवश्यकता अनुसार हीटर /कूलर/पंखे व 24 घंटे बिजली की भी व्यवस्था एवं उम्र के अनुसार बच्चों के लिये खिलौनों की व्यवस्था की जानी है।

e) वार्ड के साथ पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये अलग से शौचालय व स्नानघर की व्यवस्था भी की जाये।

05–उपरोक्त की स्थापना हेतु यूनिसेफ के जनपद स्तरीय अधिकारियों को सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। –

06–वित्तीय व्यवस्था :–

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला संयुक्त चिकित्सालय में 10 शैय्याओं के पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु **रू0 2.00 लाख** की धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जायेगा–

S.N.	Item	Unit	Unit Cost (Rs.)	Total cost (Rs.)
A	**Establishment cost**			
Civil work renovation etc.-				
1	**Ward**	1	25,000	25,000
2	**Kitchen**	1	20,000	20,000
3	**Bathroom and Toilet**	1	15,000	15,000
4	**Cots and Matresses**	10	2,500	25,000
5	**Essential ward equipments**	1	50,000	50,000
6	**Other ward equipments**	1	35,000	35,000
7	**Kitchen Equipments**	1	30,000	30,000
Total Fund				**2,00000**

1. क्रम संख्या– 1, 2, एवं 3 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि वार्ड, किचन, बाथरूम एवं टायलेट की छोटी–मोटी मरम्मत, पार्टीशन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था को सुदृढ़णीकरण एवं क्रियाशीलता के लिये दी जा रही है।

2. क्रम संख्या– 4 पर दी गयी धनराशि शैय्याओं/बेड एवं गद्दों की आपूर्ति के लिये है आवश्यकता के अनुसार इनका क्रय किया जाना चाहिये। **यथा सम्भव शैय्या/बेड चिकित्सालय से ही उपलब्ध कराये जायें।**
3. क्रम संख्या– 5 एवं 6 पर दी गयी धनराशि वार्ड में उपयोग किये जाने वाली सामग्री एवं उपकरणों के लिये दी जा रही है, जो नीचे दी जा रही **तालिका 1 एवं 2 पर अंकित हैं** इनका नियमानुसार क्रय कर के पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्टॉक बुक में अंकित कर लें तथा वाउचरर्स पर सत्यापन योजना का नाम तथा स्टॉकबुक के पृष्ठ का अंकन कर आडिट हेतु सुरक्षित रखें। पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) में साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा जाना है इसके लिये कलर कोड के ढक्कनदार बड़े डस्ट–बिन वार्ड में अवश्य हों।
4. क्रम संख्या– 7 पर दी गयी धनराशि रसोई में उपयोग आने वाले बर्तन एव अन्य उपकरणों के लिये है **जो नीचे तालिका–3 पर दिया गया है,** आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार क्रय किया जाये।

तालिका– 1 Essential Ward equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.
1	Glucometer with strips	1
2	Thermometers (preferably low-reading)	2
3	Digital Paediatric weighing scales for measuring weight of the child (upto 25 kg with graduation of 5 gm) with TARE option to be kept in Ward	1
4	Infantometer for measuring length of the child	1
5	Stadiometer (to measure standing height)	1
6	Resuscitation equipment's	1
7	Suction equipment (low pressure)	1

तालिका– 2 : Other Ward equipment's to be purchased

S. N.	Items	No.	Remarks
1	IV stands	at least for each Bed	To be purchased from the Budget head of other ward equipment
2	Almirah	1	
3	Shoe rack	2	
4	Dustbin	12	
5	Room heaters	6	
6	LCD TV ; DVD player	1	
7	IEC – Audio/visual materials	1	
8	Toys for structural play (Safe, Homemade toys can be used as well)		
9	Clock (one for kitchen and one for ward)	2	
10	White board and Pin up notice board	1 each	
11	Calculator	1	
12	Reference height and weight charts and other recknor tables (supply by UNICEF)	1	

तालिका– 3 : Kitchen equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.	Remarks
1	Cooking Gas burner with cylinder	1	Items will be purchased under the heads of Kitchen equipment
2	Dietary/weighing machine to weigh the food items	1	
3	Measuring jars/ glass (10 ml, 50 ml, 100ml, 250 ml, 500ml & 1000ml) and Measuring Spoons set	1set	
4	Electric Mixer	1	
5	Electric Blender	1	
6	Water Filter (RO)	1	
7	Refrigerator	1	
8	Utensils (large containers, cooking utensils, feeding cups, saucers, spoons, jugs etc.)	1 set	

07—वित्त पोषण :—

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020—21 की आर0ओ0पी0 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना के लिये **One time Establishment cost** हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है।

New NRC Establishment for 2020-21					
S.N.	**FMR Code**	**District**	**Quantity**	**Establishment of New NRC @ Rs.2.00**	**Total Fund Allocation to DHS (In Rs.)**
1	18.12	Gorakhpur	1	200000	200000
2		Prayagraj	1	200000	200000
3	5.2.1.10	Amethi	1	200000	200000
Total- (In Rs.)				**600000**	**600000**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवंटित धनराशि यथाशीघ्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष / संयुक्त चिकित्सालय को आवंटित कर इकाई की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर क्रियाशील कराने का कष्ट करें।

इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण हाने पर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित किया जाये जिससे मानव संसाधन के मानदेय एवं आपरेशनल कास्ट हेतु भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा सकें। धनराशि का व्यय समय—समय पर जारी वित्तीय दिशा निर्देशानुसार किया जाये।

08—मानव संसाधन

पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना के उपरान्त कार्यक्रम संचालन हेतु कार्यक्रम संचालन हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

- चिकित्सा अधिकारी —01 (संविदा पर)
- न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर —01 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स —04 (संविदा पर)
- कुक (रसोईया) —01 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)
- केयर टेकर —01 ((आउट सोर्सिगं के माध्यम से)
- सफाई कर्मी —01 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

मानव संसाधन की नियुक्ति / तैनाती के सम्बन्ध में इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

09—वित्तीय निर्देश—

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

6. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी / द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
7. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
8. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी ऑडिटर, महालेखाकार की ऑडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0एफ0 एम0एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

10– <u>कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में **पोषण पुनर्वास केन्द्र** की स्थापना की जानकारी के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश **की वेवसाइड–upnrhm.gov.in पर** प्रदेश में क्रियाशील **पोषण पुनर्वास केन्द्र** के वार्ड, किचिन, टायलेट आदि के फोटोग्राफ उपलब्ध हैं अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 7897829999 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2020–21 / **दिनांक / 09 / 2020**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति उ0प्र0।
3. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष / संयुक्त चिकित्सालय, गोरखपुर, प्रयागराज एवं अमेठी को इस आशय के साथ प्रेषित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मण्डलीय कायक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
7. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– गोरखपुर, प्रयागराज एवं अमेठी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2020–21 / दिनांक/10 / 09 / 2020

विषयः–जिला चिकित्सालय / जिला संयुक्त चिकित्सालय में नवीन पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु डैप में सम्मिलित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत है कि एन0एफ0एच0एस0–IV (वर्ष 2016) सर्वे के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 15 लाख बच्चे Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित हैं अर्थात इनका वज़न ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। Severe Acute Malnutrition (SAM) एक गंभीर समस्या है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 09 गुना अधिक होती है। मुख्य रुप से 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं तथा Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जाती है–

- 01–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम।
- 02–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम।
- 03–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।

अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार एवं कुपोषण रोकथाम हेतु भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध रूप से **पोषण पुनर्वास केन्द्रों** (NRCs) की स्थापना की जा रही है इसी क्रम में आपके जनपद में **पोषण पुनर्वास केन्द्र** (NRC) की स्थापना जिला चिकित्सालय में की जानी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 की आर0ओ0पी0 में नवीन पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) की स्थापना हेतु धनराशि आवंटित की जा रही धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं–

01–उद्देश्यः–

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

02–पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवाये:–

1. भर्ती किये गये अति कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
4. बच्चे के परिवारजनों को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
6. पोषण पुनर्वास केन्द्र में हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

03–पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्थानः–

- पोषण पुर्नवास केन्द्र – जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय में 10 शैय्याओं/बैड की इकाई स्थापित की जायेगी।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चों की भर्ती हेतु एक अलग वार्ड जिसमें मानक के अनुसार 10 शैय्या/बैड रखने की क्षमता हो। वार्ड के साथ किचन, शौचालय एवं बरामदा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।

04–पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्वरूप :–

a) पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये एक अलग वार्ड का चयन किया जाये। पोषण पुर्नवास केन्द्र के 10 शैय्याओं/बैड के वार्ड का क्षेत्रफल लगभग 1950 Sq फिट होना चाहिये (प्रति शैय्या/बैड का क्षेत्रफल 150 Sq फिट)। चयनित वार्ड में प्राकृतिक हवा/प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहियें, वार्ड में ही आवंटित बेड के पास चिकित्सक, स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट हेतु मेज़, कुर्सी रखने की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। वार्ड में बच्चे व मां के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो। बच्चो के मनोरंजन एवं मनो सामाजिक विकास के अनुकूल वार्ड बनाने के लिये दीवारों पर आकर्षक पेन्टिंग तथा पोस्टर लगाये जायेगे। इस हेतु यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी सलाह दी जायेगी।

b) चूंकि पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चे के साथ मां अथवा परिवार के सदस्य का रूकना अनिवार्य है इस लिये उपयोग में लाये जाने वाले बैड का माप वयस्क के अनुरूप हो।

c) चूँकि इस पोषण पुर्नवास केन्द्र में Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चे का आहार भी चिकित्सालय में बनाया जाना है अतः रसोई बनाने के लिये वार्ड के साथ अलग से एक कमरा भी उपलब्ध हो। रसोई घर मे गैस सिलैन्डर, मिक्सर, कुकर आदि खाना बनाने के बर्तन, पानी रखने के बर्तन, खाद्य सामग्री की तौल व मॉप के उपकरण आदि की व्यवस्था की जाये। फ्रिज भी रसोई घर में रखा जाना होगा इस हेतु स्थान की समुचित व्यवस्था की जाये।

d) परिवारजनों/माता के ठहरने का स्थान, परिवार के सदस्यों विशेषकर माता के रहने के लिये कक्ष में बेड, गद्दा, रंगीन चादर, मच्छरदानी तथा मौसम की आवश्यकता अनुसार हीटर /कूलर/पंखे व 24 घंटे बिजली की भी व्यवस्था एवं उम्र के अनुसार बच्चों के लिये खिलौनों की व्यवस्था की जानी है।

e) वार्ड के साथ पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये अलग से शौचालय व स्नानघर की व्यवस्था भी की जाये।

05–उपरोक्त की स्थापना हेतु यूनिसेफ के जनपद स्तरीय अधिकारियों को सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। –

06–वित्तीय व्यवस्था :–

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला संयुक्त चिकित्सालय में 10 शैय्याओं के पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु **रू0 2.00 लाख** की धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जायेगा–

S.N.	Item	Unit	Unit Cost (Rs.)	Total cost (Rs.)
A	**Establishment cost**			
Civil work renovation etc.-				
1	**Ward**	1	25,000	25,000
2	**Kitchen**	1	20,000	20,000
3	**Bathroom and Toilet**	1	15,000	15,000
4	**Cots and Matresses**	10	2,500	25,000
5	**Essential ward equipments**	1	50,000	50,000
6	**Other ward equipments**	1	35,000	35,000
7	**Kitchen Equipments**	1	30,000	30,000
Total Fund				**2,00000**

1. क्रम संख्या– 1, 2, एवं 3 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि वार्ड, किचन, बाथरूम एवं टायलेट की छोटी–मोटी मरम्मत, पार्टीशन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था को सुदृढ़णीकरण एवं क्रियाशीलता के लिये दी जा रही है।

2. क्रम संख्या– 4 पर दी गयी धनराशि शैय्याओं/बेड एवं गद्दों की आपूर्ति के लिये है आवश्यकता के अनुसार इनका क्रय किया जाना चाहिये। **यथा सम्भव शैय्या/बेड चिकित्सालय से ही उपलब्ध कराये जायें।**
3. क्रम संख्या– 5 एवं 6 पर दी गयी धनराशि वार्ड में उपयोग किये जाने वाली सामग्री एवं उपकरणों के लिये दी जा रही है, जो नीचे दी जा रही **तालिका 1 एवं 2 पर अंकित हैं** इनका नियमानुसार क्रय कर के पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्टॉक बुक में अंकित कर लें तथा वाउचरर्स पर सत्यापन योजना का नाम तथा स्टॉकबुक के पृष्ठ का अंकन कर आडिट हेतु सुरक्षित रखें। पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) में साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा जाना है इसके लिये कलर कोड के ढक्कनदार बड़े डस्ट–बिन वार्ड में अवश्य हों।
4. क्रम संख्या– 7 पर दी गयी धनराशि रसोई में उपयोग आने वाले बर्तन एव अन्य उपकरणों के लिये है **जो नीचे तालिका–3 पर दिया गया है,** आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार क्रय किया जाये।

तालिका– 1 Essential Ward equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.
1	Glucometer with strips	1
2	Thermometers (preferably low-reading)	2
3	Digital Paediatric weighing scales for measuring weight of the child (upto 25 kg with graduation of 5 gm) with TARE option to be kept in Ward	1
4	Infantometer for measuring length of the child	1
5	Stadiometer (to measure standing height)	1
6	Resuscitation equipment's	1
7	Suction equipment (low pressure)	1

तालिका– 2 : Other Ward equipment's to be purchased

S. N.	Items	No. at least for each Bed	Remarks
1	IV stands	1	To be purchased from the Budget head of other ward equipment
2	Almirah	2	
3	Shoe rack	12	
4	Dustbin	6	
5	Room heaters	1	
6	LCD TV ; DVD player	1	
7	IEC – Audio/visual materials		
8	Toys for structural play (Safe, Homemade toys can be used as well)		
9	Clock (one for kitchen and one for ward)	2	
10	White board and Pin up notice board	1 each	
11	Calculator	1	
12	Reference height and weight charts and other recknor tables (supply by UNICEF)	1	

तालिका– 3 : Kitchen equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.	Remarks
1	Cooking Gas burner with cylinder	1	Items will be purchased under the heads of Kitchen equipment
2	Dietary/weighing machine to weigh the food items	1	
3	Measuring jars/ glass (10 ml, 50 ml, 100ml, 250 ml, 500ml & 1000ml) and Measuring Spoons set	1set	
4	Electric Mixer	1	
5	Electric Blender	1	
6	Water Filter (RO)	1	
7	Refrigerator	1	
8	Utensils (large containers, cooking utensils, feeding cups, saucers, spoons, jugs etc.)	1 set	

07–वित्त पोषण :–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 की आर0ओ0पी0 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना के लिये **One time Establishment cost** हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है।

New NRC Establishment for 2020-21					
S.N.	**FMR Code**	**District**	**Quantity**	**Establishment of New NRC @ Rs.2.00**	**Total Fund Allocation to DHS (In Rs.)**
1	18.12	Gorakhpur	1	200000	200000
2		Prayagraj	1	200000	200000
3	5.2.1.10	Amethi	1	200000	200000
Total- (In Rs.)				**600000**	**600000**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवंटित धनराशि यथाशीघ्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष /संयुक्त चिकित्सालय को आवंटित कर इकाई की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर क्रियाशील कराने का कष्ट करें।

इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण हाने पर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित किया जाये जिससे मानव संसाधन के मानदेय एवं आपरेशनल कास्ट हेतु भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा सकें। धनराशि का व्यय समय–समय पर जारी वित्तीय दिशा निर्देशानुसार किया जाये।

08–मानव संसाधन

पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना के उपरान्त कार्यक्रम संचालन हेतु कार्यक्रम संचालन हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

- चिकित्सा अधिकारी –01 (संविदा पर)
- न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर –01 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स –04 (संविदा पर)
- कुक (रसोईया) –01 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)
- केयर टेकर –01 ((आउट सोर्सिगं के माध्यम से)
- सफाई कर्मी –01 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

मानव संसाधन की नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

09–वित्तीय निर्देश–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

6. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी / द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
7. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
8. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी ऑडिटर, महालेखाकार की ऑडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0एफ0 एम0एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

10– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में **पोषण पुनर्वास केन्द्र** की स्थापना की जानकारी के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश **की वेवसाइड–upnrhm.gov.in पर** प्रदेश में क्रियाशील **पोषण पुनर्वास केन्द्र** के वार्ड, किचिन, टायलेट आदि के फोटोग्राफ उपलब्ध हैं अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 7897829999 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2020–21 / 2997-7 **दिनांक / 09 / 2020**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति उ0प्र0।
3. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष / संयुक्त चिकित्सालय, गोरखपुर, प्रयागराज एवं अमेठी को इस आशय के साथ प्रेषित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मण्डलीय कायक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
7. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य